सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3685/JH/270/2026-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: dc-gum@nic.in

विषय: **गुमला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों तथा परसा पंचायत मुखिया, ग्राम प्रधान परसा तथा ग्राम प्रधान बांसडीह करमा मुण्डा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध - श्री पुनेश्वर उरांव, मौजा-परसा, जिला-गुमला, झारखण्ड का दिनांक 21.01.2026 का पत्र/अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री पुनेश्वर उराँव,
ग्राम- बाँसडीह , पो०- परसा,
जिला- गुमला, झारखण्ड-835207,
Mobile No: 9835356993

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-3685/JH/270/2026-RU-IV

श्री पुनेश्वर उरांव, मौजा-परसा, प्रखंड-बसिया, जिला-गुमला (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "गुमला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों, परसा पंचायत मुखिया, ग्राम प्रधान परसा तथा ग्राम प्रधान बांसडीह करमा मुण्डा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदक श्री पुनेश्वर उरांव, मौजा-परसा, प्रखंड-बसिया, जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 21.01.2026 को आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में श्री पुनेश्वर उरांव ने आरोप लगाया है कि गुमला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन से संबंधित पदाधिकारी, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, परसा पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान परसा तथा ग्राम प्रधान बांसडीह करमा मुण्डा शामिल हैं, द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों का हनन किया गया है। अभ्यावेदक का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक, वैधानिक एवं पारंपरिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया तथा उनके साथ उत्पीड़नपूर्ण व्यवहार किया गया। अभ्यावेदक ने भारतीय दण्ड संहिता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की है। अभ्यावेदक ने अपने आवेदन में कथित रूप से हुए अधिकार हनन एवं उत्पीड़न के लिए दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति/हर्जाना दिलाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2026 को उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

3. मामले को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में उपायुक्त, गुमला व् अभ्यावेदकगण उपस्थित रहे

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, गुमला तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-43 के छत्तीसगढ़/झारखंड सीमा से गुमला खंड तक पथ निर्माण/चौड़ीकरण योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम की धारा 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(G) एवं 3(H) के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है। प्रभावित रैयतों की आपत्तियों एवं मुआवजा संबंधी दावों पर भी मध्यस्था न्यायालय द्वारा सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय लिया गया तथा संशोधित मुआवजा निर्धारण के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण की समस्त कार्रवाई विधि एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप की गई है। उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से भी संविधान अथवा विधिक प्रावधानों के उल्लंघन का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है। अभ्यावेदको ने बताया की उनके पास जीवन गुजरा के लिए कोई और अन्य भूमि नही है तथा सड़क को और छोड़ा करना इतन आवश्यक नही है अत उनकी भूमि बचायी जाए

6. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. इस मामले के समुचित निस्तारण हेतु जिला प्रशासन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी प्रभावित ग्रामीणों के साथ पुनः एक समन्वय बैठक आयोजित करें। बैठक की सूचना विधिवत जारी कर सभी संबंधित पक्षों को सम्मिलित होने तथा अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। बैठक में उठाए गए सभी विषयों पर यथोचित विचार करते हुए उनके समाधान एवं निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि विवादित विषय का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण हो सके।

II. इस कार्यवृत्त की एक प्रति अध्यक्ष/सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), को आवश्यक एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

III. उपर्युक्त बिंदुओं पर की गई कार्रवाई से आयोग को 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi